



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-15102025-266912
CG-CG-E-15102025-266912

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4526]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 13, 2025/आश्विन 21, 1947

No. 4526]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2025/ASVINA 21, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 07 अक्टूबर, 2025

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 के तहत अधिसूचना

का.आ. 4655(अ).—केंद्रीय सरकार रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20क की उप-धारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश के लिये संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त विवरण सलग्र अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंड्रारोड-अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फाइडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु उड़ीशा, छत्तीसगढ़ एवम् महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है एतद द्वारा अधिग्रहण करने के आशय की घोषणा करती है। उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के सम्बन्ध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी यानी अनुविभागीय अधिकारी (रा०) सक्ति; जिला सक्ति, छत्तीसगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा०) सिमगा, जिला बलौदा बाजार- भाटापारा, छत्तीसगढ़ को स्वयं या किसी वकील के माध्यम से लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपर्युक्त किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेप कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो तो करने के पश्चात जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुगत या अनअनुगत कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन एवं अन्य व्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा- गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंड्रारोड-अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रैकशन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फ़िडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना रहित या सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण –

जिला – सक्ति					राज्य – छत्तीसगढ़				
क्र०	सक्षम प्राधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि खसरा सं	कुल रकबा (हे०)	अर्जित रकबा (वर्ग मी०)	अर्जित रकबा (हे०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (रा०), सक्ति (छ०ग०)	बाराद्वार	सकरेली	निजी	कृषि	1370/4	0.289	160	0.016
				निजी	कृषि	1369/12	0.283	160	0.016
				Total			0.572	320	0.032
जिला – बलौदा बाजार – भाटापारा					राज्य – छत्तीसगढ़				
2.	अनुविभागीय अधिकारी (रा०), बलौदा बाजार – भाटापारा (छ०ग०)	सिमगा	धोधा	भूमिस्वामी	कृषि	386	0.130	400	0.040
				भूमिस्वामी	कृषि	387	0.550	1210	0.121
				भूमिस्वामी	कृषि	771	0.330	650	0.065
				Total			1.010	2260	0.226

[फा. सं. सीपीएम/इले/बीएसपी/2X25 के.वी. ओ.एच.ई/भूमि अधि./20 A/1261]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(S.E.C. Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 07th October, 2025

Notification under Section 20 (A) of Railway Act, 1989

S.O. 4655(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of

Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa – Gevra Road, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh and Maharashtra over SEC railway, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub Section (1) of Section 20 (D) of the said act.

Every objection shall be made to the competent authority namely, Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sakti, District-Sakti (Chhattisgarh) and Sub-Divisional Magistrate (Revenue) Simga, District-Balauda Bazar – Bhatapara, Chhattisgarh in writing and shall set out grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under Sub-section (2) of Section 20 (D) of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa- Gevra Road, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Chhattisgarh.

District- Sakti					State: Chhattisgarh				
Sl. No.	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Nature of Ownership	Nature of Land	Land khasra No.	Total Area (in Hec.)	Area to be acquired (in SqM)	Area to be acquired (in Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	SDM (Rev) Sakti (Distt. – Sakti), Chhattisgarh	Baradwar	Sakreli	Niji	Krishi	1370/4	0.289	160	0.016
				Niji	Krishi	1369/12	0.283	160	0.016
				Total			0.572	320	0.032
District- Balauda Bazar - Bhatapara					State: Chhattisgarh				
2.	SDM (Rev) Simga (Distt. – Baluda Bazar, Bhatapara), Chhattisgarh	Simga	Dhodha	Bhumiswami	Krishi	386	0.130	400	0.040
				Bhumiswami	Krishi	387	0.550	1210	0.121
				Bhumiswami	Krishi	771	0.330	650	0.065
				Total			1.010	2260	0.226

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 A/1261]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Const.)